LOK SABHA

Wednesday, November 11, 1970/Kartika 20, 1892 (Saka)

———

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

OBITUARY REFERENCE

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA GANDHI): With your permission, Mr. Speaker, I should like to pay a tribute to General Charles De Gaulle in whose passing away an era of history comes to an end. A great soldier and statesman, he exemplified the finest qualities of French and European civilisation, His struggle against Fascist tyranny symbolised the indomitable spirit of human freedom. His subsequent role was no less significant. The architect of new France, he came to power at a most difficult time, but he brought stability to his country and gave it a new position in international affairs. In transforming his country's relations with Algeria he displayed the highest statesmanship and a new awareness of the spirit of the times and of the issues of human freedom and dignity which his own great country had done so much to foster.

I should like to add a personal note. I had occasion to meet him twice and I found him not the forbidding figure which had been made out by newspapers and articles which one had read but a person with a deep interest in India, especially in the scientific development of India. When I met him as Prime Minister on my way to the United States in 1966 he especially spoke about the development of atomic energy and helping young scientists. He wanted to know specifically how France could help us in this matter.

Only last week, about five days ago, I received from him a copy of his latest book, his Memoires, d'Espoir inscribed to me in his own hand and with a gracious reference to my father.

On behalf of my colleagues in Government and in this House I should like to convey through you, to the Government and people of France, our profound sorrow at the passing away of this great personality.

MR. SPEAKER : I associate myself on behalf of the House with the sentiments expressed by the Prime Minister. General De Gaulle was not only one of the great leaders of France ; he had made really a great place for himself in the world. His opinions were very much respected in the world and he was always heard with care. On behalf of the House I shall convey our condolences to the Government and people of France.

The House may stand in silence for a short while as a mark of respect to the departed soul.

The members then stood in silence for a short while

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Inquiry into Chhoti Sadri Gold Case

61. SHRI RAM KISHAN GUPTA : Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No 814 on the 31st July, 1970 regarding Chhoti Sadri Gold case and state :

(a) whether the C.B.I. has completed

the preliminary inquiry into the Chhoti Sadri Gold Case ; and

(b) if so, the result thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

श्री राम किशन गुप्त : पिछली दफे 31 जुलाई सन् 1970 को भी यही जवाब दिया गया था और उससे पहले भी यह सवाल जब 17 अप्रैल, 70 को आया था तब भी कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया गया था। मैं जानना चाहता हूँ कि इस मामले में क्यों इतनी देर हो रही है और क्या इसका कारण यह नहीं है कि जिसने सोना मिस्एप्रोप्रिएट किया है वह राजस्थान का मुख्य मंत्री है और वह रूलिंग पार्टी के साथ है ?

श्री राम निवास मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन में पहले भी बताया जा चुका है इसी सोने के सम्बन्ध में एक मुकद्मा चल रहा है जो कि अदालत के विचाराधीन है और जब तक वह मुकद्मा तय नहीं हो जाता या जब तक वहाँ गवाहियाँ नहीं हो जातीं तब तक उन्हीं व्यक्तियों की गवाही सी० बी० आई० द्वारा लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिए इस केस की जाँच में देरी हो रही है। हाई कोर्ट में मामला एक, दो दफे गया फिर एक ट्रान्सफर पेटीशन हुई उसकी वजह से कुछ देरी हो गयी। एक दफे तो अदालत ने 54 गवाहों के बयान तक ले लिये थे लेकिन फिर भी कानूनी एक बात उठी और सारा ट्राएल डीनोवो शुरू हुआ। आज स्थिति यह है कि 15 गवाहों के बयान लिये जा चुके हैं, 13 गवाह छोड़ दिए गए हैं और 52 गवाहों के बयान लेना अभी भी बाकी है। जो हमने जानकारी प्राप्त की है उससे प्रतीत होता है कि 20 पेशियां और पड़ेगीं तब कहीं जाकर सारे गवाहों के बयान पूरे हो सकेंगे। इस तरीके से करीब 6 महीने इस अदालत की जाँच में और अभी लगेंगे। ज्यों ज्यों अदालत में बयान होते जायेंगे त्यों त्यों उन्हीं व्यक्तियों के बयान सी० बी० आई० द्वारा लिए जायेंगे और उसके बाद इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय किया जायेगा।

श्री राम किशन गुप्त : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कोशिश करेंगे कि यह जो सोना श्री गनपत लाल द्वारा पिछली लड़ाई के समय चीफ मिनिस्टर को सौंपा गया था उसकी क्या कीमत है इसका क्या कोई अन्दाजा लगाया गया था ?

श्री राम निवास मिर्धा : कोई भी सोना मुख्य मंत्री राजस्थान को नहीं सौंपा गया। पहले श्री गनपत लाल इस सोने को लड़ाई के समय देना चाहते थे। उस समय के जो प्रधान मंत्री थे उनको तोलना चाहते थे और इसी बात को लेकर इस प्रतिवेदन के साथ वह जयपुर गये, मुख्य मंत्री से मिले तथा अन्य व्यक्तियों से मिले तो वहाँ के वित्त सचिव ने यह आदेश दिया कलैक्टर को यह सोना जो वह बता रहे हैं उस को अदालत की ट्रेजरी में रख दिया जाय। उसके पश्चात् कलैक्टर और सुपरिनटैंडैंट पुलिस इन गनपत लाल के साथ गये और एक खेत में से कुछ सोना बरामद किया। उसे तोला गया और वह ट्रेजरी में रक्खा है। उसी के सम्बन्ध में यह मुकद्मा चल रहा है···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: कितने का सोना है ?

श्री राम किशन गुप्त : कितना सोना था और उसकी वैल्यु क्या थी ?

श्री राम निवास मिर्धा : श्री गनपत लाल की निशानदेही से 7 कम्प्लीट स्लैब और 37 पीसैज गोल्ड के एक खेत में से रिकवर किये गये थे। सोना चित्तौड़गढ़ लाया गया वहाँ पर तुलाया गया। उसका वजन 56·863 किलोग्राम था। यह सोना उसी दिन ट्रेजरी में जमा करा

दिया गया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ ने इसकी रसीद श्री गनपत लाल को दे दी थी।

श्री राम किशन गुप्त : तत्कालीन प्रधान मंत्री को तौलने के लिए राजस्थान के मुख्य मंत्री की ओर से निवेदन किया गया था और उस वक्त अनुमान था कि उनके वजन के बराबर सोना होगा तो क्या उस सोने के बारे में फिर पता लगाया गया राजस्थान सरकार की ओर से या गवर्नमेंट आफ इण्डिया की ओर से कि उनके वजन के बराबर का सोना क्या गनपत लाल जी के ही पास था या उसको उन्होंने वहां के मुख्य मंत्री के माध्यम से राजस्थान सरकार के खजाने में जमा कराया और कैसे वह सोना इतना खेत में गया और बाकी के सोने का क्या हुआ ? कहां तक राजस्थान सरकार का उसमें हाथ है ?

श्री राम निवास मिर्धा : जैसा मैंने निवेदन किया कि प्रधान मंत्री को तोलने का प्रश्न यहां दिल्ली में भी उठा और उसकी खबर रेडियो और अखबारों में भी आई और वह तथ्य मैंने आप को बतलाये। यह गनपत लाल जयपुर गये और उन्होंने कहा कि इस प्रकार का सोना मैं देना चाहता हूँ। उस पर राज्य सरकार की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गयी कलैक्टर को कि जो यह सोना देना चाहते हैं उसे लेकर आप जमा करा दीजिये और 56·863 किलोग्राम सोना बरामद करके जमा करा दिया गया। उसकी रसीद खो गई और बाकायदा पंचनामा बनाया गया। इसके अलावा और किसी सोने का उल्लेख इस तफ्तीश में नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी मंत्री जी ने कहा कि मामला अदालत के विचाराधीन है, इसलिए सी० बी० आई० किसी तरह की जांच नहीं कर सकता या इस जांच में देर लग रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सी०बी० आई० ने यह पता लगाने का प्रयत्न किया कि श्री गनपत लाल के पास इतना सोना कहां से आ गया और क्या उनसे पूछा गया कि इतनी बड़ी मात्रा में सोना एकत्र करने में वह कैसे सफल हुए ? इस मामले का सम्बन्ध अदालत से नहीं है। मुकद्दमा अदालत में चलता रहे फिर भी सी० बी० आई० यह पता लगा सकता है कि इतना सोना कहां से आया। क्या इस दिशा में कोई कदम उठाया गया ?

श्री राम निवास मिर्धा : सी० बी० आई० के पास यही मामला है कि जिस सोने की बात माननीय सदस्यों ने सदन में उठाई थी उसके बारे में जांच की जाये। जहां तक इस सोने का सम्बन्ध है कि वह कहां से आया इसके बारे में अदालत में केस चल रहा है। वहां पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा इंटरवीन किया गया है। उनसे कहा गया है कि आपका यह केस समाप्त हो जाये तो हम इस बारे में जांच कराना चाहेंगे। उसके पश्चात् फाइनेन्स मिनिस्ट्री के कस्टम विभाग या दूसरे सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जांच होगी तब हम जांच करेंगे कि यह सोना कहां से आ गया और उस का क्या किया जाये।

श्री मधु लिमये : मैंने यह सवाल पहली बार 1966 में यहां पर उठाया था और राष्ट्रपति को एक आवेदन-पत्र भी दिया गया था। साथ-साथ आधे घण्टे की बहस भी यहां उठाई गई थी, जिसके दौरान मैंने दो दस्तावेज सदन की खिदमत में पेश किये थे। एक तो पंचनामा था और दूसरा राजस्थान के वित्त सचिव का पत्र था, जिसके आधार पर यह सोना उदयपुर की ट्रेजरी में जमा करा दिया गया। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या चार साल के बाद भी इस केस का फैसला नहीं हो पाया? आखिर इस केस का फैसला कब होगा और दर्म्यानी अरसे में क्या रिजर्व बैंक राजस्थान सरकार से यह मांग करेगा कि पंचनामा वाला सोना और ट्रेजरी में जमा किया सोना, दोनों

किस्म का सोना वित्त सचिव के पत्र के आधार पर रिजर्व बैंक में जमा करा दिया जाये ?

श्री राम निवास मिर्धा : इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने प्रधान मंत्री जी को एक पत्र लिखा था और उसका उत्तर भी दे दिया गया है कि रिजर्व बैंक में इस सोने को जमा कराने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इसके संबंध में अदालत में केस चल रहा है। वह अदालत के अधीन है और ट्रेजरी में रक्खा हुआ है। जब तक अदालत का निर्णय नहीं हो जाता तब तक रिजर्व बैंक या वित्त मंत्रालय इस में कुछ नहीं कर सकता।

श्री मधु लिमये : कब होगा ? इस प्रश्न को उठाये हुए चार साल हो गये। आखिर इस में मंत्री महोदय कितना समय और लगायेंगे ? क्या ट्रेजरी में दोनों किस्म का सोना जमा है ? इसका खुलासा किया जाये कि राजस्थान के वित्त सचिव के पत्र के आधार पर जो सोना जमा कराया गया और पुलिस ने जो सोना बरामद किया, जिसका पंचनामा हुआ, मैंने उसकी नकल रक्खी है, दोनों किस्म का सोना जमा है या एक सोना हजम हो गया है ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह सोना दो नहीं बल्कि एक ही है।

श्री मधु लिमये : ऐसा नहीं है। मैंने दो दस्तावेज पेश किये हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है। कुछ हाउस का भी खयाल रखना चाहिए।

श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या इतना असत्य बोलेंगे कि दोनों सोना एक ही है ?

श्री मधु लिमये : मेरी बात सुनिये। मैं यह अर्ज कर रहा था कि पंचनामा की नकल मैंने यहां पेश की है। पंचनामा तभी किया जाता है जब सोना बरामद किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें आर्गूमेंट्स मत कीजिए।

श्री मधु लिमये : मैं सीधा जवाब 'हां' या 'नहीं' में चाहता हूँ। क्या दोनों किस्म का सोना, पंचनामा वाला सोना और वित्त सचिव के पत्र के आधार पर जो सोना ट्रेजरी में जमा किया गया, जिसकी रसीद की नकल भी मैंने पेश की थी, जमा किया गया है, इसकी सफाई मंत्री महोदय देंगे ? मैंने दो दस्तावेज पेश किये हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : जैसा मैंने निवेदन किया वित्त सचिव ने एक पत्र लिखा था। यह सारी रेकार्ड की बात है जो मैं कह रहा हूँ और वह पंचनामा में मौजूद है। माननीय सदस्य जिस वित्त सचिव के पत्र का हवाला दे रहे हैं वह भी मौजूद है। जब श्री गनपत लाल जयपुर गये और कहा कि मैं सोना जमा कराना चाहता हूं तब वित्त सचिव ने एक पत्र लिखा कलेक्टर को कि वह जो सोना दे उसको आप जमा करा दीजिए। सुपरिन्टेण्डेंट पुलिस और कलेक्टर मौके पर गये और खेत में से सोना बरामद किया।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, पहले आप मेरे प्रश्न को समझ लें फिर उसका उत्तर दिलवायें। आप भी इन बातों की जानकारी रखते हैं कि जब कुछ बरामद किया जाता है तब पंचनामा होता है जब किसी चीज को ट्रेजरी में जमा किया जाता है तब उसकी पूरी रसीद होती है। रसीद की नकल मैंने पेश की है, पंचनामा की नकल मैंने पेश की है। दोनों डाकुमेंट्स अलग हैं, दोनों प्रोसेस अलग हैं, और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि वह सोना एक ही है।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं रेकार्ड के बेसिस पर उत्तर दे रहा हूँ । कलेक्टर और एस० पी० ने मौके पर पंचनामा बनाया और उस पर एस० पी० के भी दस्तखत हैं । उसको ट्रेजरी में लाकर जमा कराया गया और उसकी रसीद श्री गनपत लाल को दी गई ।

SHRI HEM BARUA : In view of the fact that this gold case is one of the greatest cases of corruption in the country where high-ups are involved, may I know whether Government have asked the CBI to expedite the enquiry, so that the impression going round in the country that the Government are protecting some high-ups might be dispelled immediately ?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : There is no question of protecting anyone. The CBI is carrying on the investigation, but because of the case going on in the court, there are certain limitations to what the CBI could do. In spite of that, they have examined 18 witnesses. These witnesses have also appeared before the court. There is no question of shielding Mr. Sukhadia or anyone. Actually, Mr. Sukhadia himself asked for investigation and the investigation was started as a result of his own request. There is no question of shielding anyone.

SHRI TENNETI VISWANATHAN : The weight of the gold recovered seems to be more or less equal to the weight of the late Prime Minister who got himself weighed. Has the weight of the gold been equalised to suit this or is there any unrecovered amount of gold ? If this is a method of recovering smuggled gold, will the Prime Minister offer herself to be weighed on good occasions ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : I would suggest Mr. Piloo Mody for this function.

श्री ओंकार लाल बेरवा : इधर गनपतलाल ने ट्रेजरी में सोना जमा कराया और उधर सुखाड़िया साहब दौड़ कर दिल्ली आये और एक केन्द्रीय मंत्री से मिले और बात चीत की । मैं इतना ही जानना चाहता हूँ कि क्या इसमें केन्द्रीय मंत्री और श्री सुखाड़िया दोनों की केन्द्रीय साजिश है, और क्या इस केस को डिले करने में मंत्री का हाथ है । अब चार साल होने को आये इस मामले में । इसमें आखिर कितना समय लगेगा और क्या इस तरह का भ्रष्टाचारी चुनाव में खड़ा हो सकता है ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, उत्तर दिलाइये ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : सुखाड़िया जी आए थे या नहीं आए थे । हाँ या न में जवाब दिलवाइये ।

अध्यक्ष महोदय : आपका सीधा सवाल क्या है ?

श्री ओंकार लाल बेरवा : सवाल यह है कि क्या केन्द्रीय मंत्री से सुखाड़िया जी उस तारीख में आकर मिले थे और क्या इस में केन्द्रीय मंत्रियों का हाथ है और क्या यही कारण नहीं है कि केस में देरी हो रही है ? क्या ऐसा केन्द्रीय मंत्रियों के दबाव के कारण नहीं हो रहा है ? इस तरह का आदमी जो सरकार से भ्रष्टाचार करने के मामले ले कर लड़े, क्या उसको चुनाव में खड़ा होने का अधिकार है ?

श्री राम निवास मिर्धा : देरी के कारण मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ । केस अदालत में चल रहा है । दो दफा हाई कोर्ट में गया है । उसकी ट्रांसफर पैटीशन हुई । इस वास्ते इसमें देरी हुई और हो रही है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : केन्द्रीय मंत्रियों का दबाव तो नहीं पड़ रहा है ।

श्री राम निवास मिर्धा : किसी भी केन्द्रीय मंत्री का इसमें हाथ नहीं है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : सुखाड़िया जी के खिलाफ केस नहीं चल रहा है । उनके खिलाफ एलीगेशंज हैं कि उन्होंने गड़बड़ की है । सी. बी. आई. से इनक्वायरी आप सुखाड़िया जी के खिलाफ क्यों नहीं कराते हैं ? यह सवाल था जिसका जवाब नहीं आया है ।

श्री राम निवास मिर्धा : यह जो इनक्वायरी है इसमें जो भी प्रतिवेदन दिये गए थे सुखाड़िया जी के खिलाफ या अन्य व्यक्तियों के खिलाफ उन सबकी सी. बी. आई. जांच कर रही है लेकिन जांच में देरी इसलिए हो रही है कि जिन गवाहों के बयान होने हैं वे अभी तक नहीं हुए हैं । उनके बयान होने हैं ।

श्री मधु लिमये : देरी इसलिए हुई है कि वह एक दिन में सिंडीकेट से इंडीकेट में आ गए हैं ।

श्री शिव नारायण : सोना जिस खेत में से मिला वह खेत किसका था ? सोना जो निकला उसके सिलसिले में क्या किसी आदमी को आपने गिरफ्तार किया है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कौन-कौन लोग हैं जिनके ऊपर मुकद्दमा चल रहा है ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह मैं नहीं कह सकता हूं कि किस व्यक्ति का खेत था लेकिन श्री गणपत लाल जिनकी निशानदेही पर वह बरामद हुआ उन पर भी केस चल रहा है और उस केस में तीन व्यक्ति और हैं उनके साथ ।

Revival of Preventive Detention Act in West Bengal

+

*62. SHRI YASHPAL SINGH :
SHRI S. K. TAPURIAH :
SHRI E. K. NAYANAR :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether there is a repeated demand from the West Bengal Governor/Government to revive the Preventive Detention Act in West Bengal in view of the law and order situation being worsened ; and

(b) if so, whether Government have decided to meet this demand ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF STATE, DEPARTMENTS OF ELECTRONICS, AND SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH (SHRI K. C. PANT) : (a) and (b). A statement is attached.

Statement

A proposal was received from the Government of West Bengal for the enactment of West Bengal Preventive Detention Bill, 1970, as a President's Act. The Bill sought to arm the State Government with powers to resort to preventive detention against persons for activities prejudicial to the security of the State and maintenance of public order. The West Bengal Consultative Committee considered the proposal at its meeting held on 11th June, 1970 and did not approve it. A fresh proposal to enact appropriate legislation with a clearly limited scope, is under the consideration of Government.

श्री यशपाल सिंह : उस स्टेट की लाखों निरीह जनता को कब तक आप खूंखार भेड़ियों के रहमोकरम पर छोड़े रखेंगे ? कब तक कोई ठोस कदम उठाया जायेगा ताकि देशद्रोही अपनी हरकतों से बाज आएं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आज भी पूरी कोशिश हो रही है कि पश्चिम बंगाल की शान्तिप्रिय जनता को पूरी सुरक्षा मिले और उसके लिए जो कदम उठाये गए हैं वे कई बार सदन में दिए जा चुके हैं । जिस ठोस कदम का सुझाव आपने दिया है वह इसमें भी है ।